

## प्रेस नोट थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर दिनांक 20.01.2023

### **अपमिश्रित कच्ची शराब व यूरिया के साथ अभियुक्ता गिरफ्तार**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के द्वारा अवैध अपमिश्रित शराब के निष्कर्षण व बिक्री पर रोक लगाए जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के निर्देशन में एवं थानाध्यक्ष पिपराईच के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता मंजू देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी जंगल तिनकोनिया नं0 3 (वनटांगिया नर्सरी) थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर को 10 ली0 अपमिश्रित कच्ची शराब व 01 किलो यूरिया के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना पिपराइच पर मु0अ0स0 48/23 धारा 60 EX. ACT व 272 भादवि पंजीकृत कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम एवं पता**

मंजू देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी जंगल तिनकोनिया नं0 3 (वनटांगिया नर्सरी) थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर

#### **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**

मु0अ0सं0 48/23 धारा 60EX ACT व 272 भादवि थाना पिपराईच जनपद गोरखपुर

#### **बरामदगी-**

कब्जे से 10 ली0 अपमिश्रित कच्ची शराब व 01 किलो यूरिया

#### **गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम –**

1. SI अशोक कुमार सिंह थाना पिपराईच गोरखपुर
2. हे0कां0 शिवप्रकाश सिंह थाना पिपराईच गोरखपुर
3. म0का0 सुप्रिया सिंह थाना पिपराईच गोरखपुर